शिमला से प्रकाशित
सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित
शैल समाचार
निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक
प्रकाशन का 51 वां वर्ष
ई-पेपर
प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक
www.facebook.com/shailsamachar
वर्ष 51 अंक-4 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 19-26 जनवरी 2026 मूल्य पांच रूपये

क्या सुक्खू सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ गंभीर है?

हरोली काण्ड से उठे सवाल

शिमला/शैल। क्या सुक्खू सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सही में गंभीर है? क्या हिमाचल में कोई भी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कारवाई कर पायी है? यह सवाल इसलिये प्रासांगिक हो जाते हैं क्योंकि इन दिनों ऊना के हरोली में घटा भूमि घोटाला विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। इस घोटाले पर नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी राजनीतिक सवाल उठाये हैं। यह सही है कि कोई भी सरकार भ्रष्टाचार को खुला संरक्षण देने से बचती है। बल्कि भ्रष्टाचार कतई सहन नहीं किया जाएगा इसको लेकर ऊंचे से ऊंचे स्वर में घोषणाएं करने को श्रेय लेने का प्रयास करती है। इसी प्रयास में 31 अक्तूबर 1997 को हिमाचल सरकार ने एक रिवार्ड स्कीम अधिसूचित की थी। इस स्कीम के अनुसार भ्रष्टाचार के खिलाफ आयी हर शिकायत की एक माह के भीतर प्रारंभिक जांच करके यदि शिकायत में दम हुआ तो इसकी नियमित जांच करके शिकायतकर्ता को एक लाख का इनाम देने का प्रावधान किया गया था। इस स्कीम के अधिसूचित होने के बाद इसके तहत दर्जनों शिकायतें आयी लेकिन एक भी शिकायत की नियमानुसार जांच नहीं हुई। बल्कि प्रदेश उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी कोई कारवाई नहीं हुई है। यहां तक की सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों तक पर कोई अमल नहीं हुआ है। हिमाचल के भू-राजस्व अधिनियम की धारा 118 के तहत कोई भी गैर हिमाचली गैर कृषक सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रदेश में जमीन नहीं खरीद सकता। लेकिन प्रदेश में सबसे अधिक इसी प्रावधान का दुरुपयोग हुआ है। शान्ता सरकार से लेकर आज तक हर सरकार पर हिमाचल ऑन सेल के आरोप लगे हैं। इसकी जांच के लिये प्रदेश में चार बार जांच आयोग गठित हो चुके हैं। हजारों पन्नों की रिपोर्ट सरकार के पास मौजूद है। लेकिन आज तक किसी भी जांच रिपोर्ट पर कोई निर्णायक कारवाई नहीं हो पायी है। विधानसभा में धारा 118 के तहत दी गयी अनुमतियों की सूचियां तक आयी है। अधिकांश नौकरशाहों ने एक से अधिक बार यह अनुमतियां हासिल की हैं। परन्तु आज तक सरकार यह प्रावधान नहीं कर पायी है कि मकान बनाने के नाम पर एक से अधिक बार अनुमति नहीं मिल सकती है। एक समय तक विपक्ष हर सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर महामहिम राज्यपाल को आरोप पत्र सौंपता आया है। लेकिन एक बार भी कोई भी सरकार अपने ही आरोप पत्र पर सत्ता में आने पर कारवाई नहीं कर पायी है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान सार्वजनिक रूप से एक आरोप पत्र सौंपा था। जिस पर कारवाई नहीं हो पायी है क्योंकि जयराम ठाकुर ने भी अपनी सरकार आने पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ किसी आरोप पत्र पर कारवाई नहीं की है। इसलिये भ्रष्टाचार के खिलाफ ऊंचे स्वर में बोलने का अर्थ जांच करना नहीं रहा है। जांच केवल व्यक्तिगत स्कोर सैटल करने तक ही सीमित रहती है। इस परिप्रेक्ष में यह उम्मीद करना की हरोली का जमीन खरीद घोटाला कोई परिणाम लायेगा भी बेमानी होगा। क्योंकि राजा नादौन की एक लाख कनाल से ज्यादा जमीन लैण्ड सीलिंग एक्ट के तहत सरकार में निहित हो जाने के बाद कैसे प्राइवेट लोगों में बिक गई इसकी आज तक कोई भी जांच क्यों नहीं हो पा रही है? राजा नादौन सीलिंग के बाद केवल 316 कनाल का मालिक रह गया था फिर उसके नाम पर लाखों कनाल जमीन कैसे बिक गई? क्या यह एक बड़ा घोटाला नहीं है। हरोली का जमीन घोटाला 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2023 तक घटा कहा जा रहा है। जिसमें हाउसिंग बोर्ड ने 600 कनाल जमीन आवास बनाने के नाम पर खरीदी। आरोप है की खरीदी गई जमीन आवास योग्य नहीं थी। 2012 में चुनावी वर्ष था और 4 नवम्बर 2012 को विधानसभा चुनाव हुये थे और कांग्रेस की सरकार आयी थी। कांग्रेस आने से छः माह पहले तक भाजपा की सरकार थी स्वभाविक है की जमीन चिन्हित करने की सारी कारवाई तो इसी सरकार के दौरान शुरू हो गई थी। फिर 2017 नवम्बर में पुनः नयी जयराम सरकार आ गयी। इस सरकार में भी इस पर कोई सवाल नहीं उठे। क्या जयराम सरकार के दौरान अधिकारियों ने इस प्राजैक्ट पर कोई काम नहीं किया? क्या उस दौरान सब कुछ ठीक था। दिसम्बर 2022 में सुक्खू सरकार आ गयी और 31 मार्च 2023 तक यह सब कुछ घट गया। यह मामला विजिलैन्स जांच में चल रहा है इसलिये जांच रिपोर्ट आने तक इन्तजार करना होगा।

हिमाचल प्रदेश और आईडब्ल्यूडीसी के बीच जल परिवहन में ऐतिहासिक समझौता

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केरल के कोच्चि में आयोजित 'अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद' आईडब्ल्यूडीसी की तीसरी बैठक में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की, और इसे देश के अंतर्देशीय जल परिवहन के भविष्य पर विस्तृत चर्चा का मंच बनाया गया।

इस अवसर पर, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण आईडब्ल्यूएआई और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता राज्य में जल-आधारित बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और पर्यावरण-अनुकूल जल परिवहन के लिए एक औपचारिक रूपरेखा प्रदान करता है।

बैठक में हिमाचल और पंजाब को जोड़ने वाले रिवर क्रूज और धार्मिक पर्यटन सर्किट पर विशेष बल दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि रावी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग-84 को रणजीत सागर से चमेरा बांध तक रिवर क्रूज पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है। वहीं, सतलुज नदी राष्ट्रीय जलमार्ग-98 को तत्तापानी और नैना देवी से पंजाब के आनंदपुर साहिब व कीरतपुर साहिब तक जोड़ने का प्रस्तावित धार्मिक पर्यटन मार्ग तैयार किया जा रहा है।

उप-मुख्यमंत्री अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश की राष्ट्रीय जलमार्ग ढांचे में प्रमुख भूमिका पर जोर दिया और भारत सरकार से तकनीकी व वित्तीय सहयोग बढ़ाने की अपील की। उन्होंने पर्यावरण अनुकूल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक कैटामारन जहाजों की मांग की, जो पहाड़ी पारिस्थितिकी के अनुकूल होंगे।

उन्होंने राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई कि यह साझेदारी रोजगार सृजन, सतत पर्यटन और पर्यावरण-अनुकूल विकास को बढ़ावा देगी। इस समझौते को हिमाचल प्रदेश में जल परिवहन और पर्यटन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है।

राज्यपाल ने 77वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के उपरांत उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शिमला मेहर पंवर के नेतृत्व में आयोजित परेड का निरीक्षण किया तथा 1 जम्मू-कश्मीर राइफल्स के लेफ्टिनेंट शाश्वत तिवारी द्वारा कमांड की गई भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू तथा लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला भी उपस्थित रहीं।

मार्च पास्ट में भारतीय सेना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, पंजाब पुलिस, हिमाचल प्रदेश पुलिस, होम गार्ड्स, अग्निशमन सेवाएं, हिमाचल प्रदेश डाक सेवाएं, आपदा प्रबंधन, भूतपूर्व सैनिक, राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स सहित विभिन्न टुकड़ियों ने भाग लिया। इन टुकड़ियों ने अनुशासन, एकता और राष्ट्रीय गौरव का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने शिमला जिला की चौपाल तहसील के अंतर्गत चंबी डाकघर के गगाना गांव निवासी रितिक चौहान को जीवन रक्षा में असाधारण साहस का परिचय देने के लिए उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। विभिन्न सरकारी विभागों की

विकासात्मक पहलों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करती रंग-बिरंगी झांकियां समारोह का प्रमुख आकर्षण रहीं।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समारोह को और भी उल्लासमय बना दिया। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, पटियाला के कलाकारों ने जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तराखंड के लोक नृत्य प्रस्तुत किए। वहीं, हिमाचल प्रदेश पुलिस की एकलव्य कला मंच, प्रथम आईआरबीएन बनगढ़, ऊना द्वारा 'नशा मुक्त हिमाचल' विषय पर प्रस्तुत प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जन-जागरूकता फैलाई गई। हमीरपुर और शिमला के कलाकारों की प्रस्तुतियों ने भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

समारोह में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक कुलदीप राठौर व मोहन लाल ब्राक्टा, प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, शिमला नगर निगम के महापौर सुरिंद्र चौहान, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी, उप-महापौर उमा कौशल, वरिष्ठ नागरिक, पुलिस एवं सैन्य अधिकारी तथा प्रदेश भर से आए अनेक नागरिक उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्यपाल ने विशेष गहन पुनरीक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का आहवान किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने निर्वाचन सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के प्रति व्यापक जन-जागरूकता बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि इस प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रदेश के नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि एक सटीक और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की मजबूती का आधार है।

राज्यपाल 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय मतदाता दिवस तथा हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं।

राज्यपाल ने बताया कि इस वर्ष निर्वाचन आयोग ने 'माई इंडिया, माई वोट' तथा 'भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में भारतीय नागरिक' को थीम के रूप में चुना है। उन्होंने नागरिकों से आहवान किया कि वे धर्म, जाति और समुदाय से ऊपर उठकर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उत्सव मनाएं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों, पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली को बनाए रखने में वैश्विक स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर चुका है। राज्यपाल ने वर्ष 2025 के दौरान सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में चलाए गए मतदाता नामांकन अभियानों की सराहना की, जिससे विशेष रूप से युवाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है। उन्होंने सिरमौर जिला के शिलाई और चंबा जिला के भरमौर जनजातीय क्षेत्र में महिला मतदाता पंजीकरण बढ़ाने वाली पहलों की भी प्रशंसा की।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नंदिता गुप्ता और उनकी टीम की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह प्रदेश और देश के लिए गर्व की बात है कि उन्होंने सितंबर 2025 में मोल्दोवा के राष्ट्रीय चुनावों में अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में सेवाएं प्रदान कीं।

इस अवसर पर राज्यपाल ने मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई तथा नव-पंजीकृत मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र वितरित किए। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला निर्वाचन अधिकारियों, बूथ लेवल अधिकारियों और अन्य कार्मिकों को सम्मानित भी किया।

इससे पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी नंदिता गुप्ता ने बताया कि निरंतर मतदाता सूची अद्यतन प्रक्रिया के तहत 6 जनवरी 2025 से अब तक 91,949 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए, 1,49,328 मतदाताओं के विवरण में सुधार किया गया तथा 64,643 अपात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। कार्यक्रम के दौरान एसआईआर पर आधारित जागरूकता नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई।

योजना विभाग ने 'नीति से परिणिति' विषय पर कार्यशाला आयोजित की

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में समावेशी विकास और लैंगिक समानता को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से योजना विभाग ने शिमला में 'नीति से परिणिति' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस पहल का संचालन राज्य परिवर्तन प्रकोष्ठ ने किया, जिसमें जीआईजेड इंडिया और नीति आयोग के विशेषज्ञों ने भी सहयोग प्रदान किया।

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य नोडल अधिकारियों की क्षमता मजबूत करना था, ताकि लैंगिक नीतिगत प्रतिबद्धताओं को मापने योग्य बजटीय कार्यवाहियों में बदला जा सके। कार्यक्रम में योजना विभाग के सलाहकार डॉ. बासु सूद ने कहा कि लैंगिक संवेदनशील योजना और बजट संसाधनों का कुशल उपयोग समावेशी विकास के लिए आवश्यक है। इसके लिए सिर्फ प्रशासनिक पालन नहीं, बल्कि सोच में मूलभूत बदलाव जरूरी है।

कार्यशाला में विभागों के प्रमुखों और नोडल अधिकारियों को लैंगिक विश्लेषण, डेटा-आधारित निर्णय लेने और निगरानी ढांचे पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इससे वे अपनी मौजूदा योजनाओं में लैंगिक दृष्टिकोण जोड़ सकेंगे।

विशेष रूप से कार्यान्वयन की चुनौतियों और लैंगिक परिणामों की रिपोर्टिंग सुधार पर ध्यान दिया गया। विभागों को निर्देशित किया गया कि वे नीतियों के प्रभाव को समय-सीमा में मापें और आवश्यक सुधार करें।

यह सहयोगी प्रयास विभागों के बीच समन्वय बढ़ाएगा और राज्य में जवाबदेह और परिणाम-उन्मुख सार्वजनिक व्यय को मजबूत करने में सहायक साबित होगा।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को दीं शुभकामनाएं

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी। उन्होंने सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्ध भविष्य की कामना की।

राज्यपाल ने अपने संदेश में भारतीय संविधान के महत्त्व पर बल देते हुए इसे राष्ट्र की मार्गदर्शक शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस भारत की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों को और अधिक सुदृढ़ करता है। राज्यपाल ने विभिन्न क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश द्वारा अर्जित की गई उल्लेखनीय प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि यह प्रदेशवासियों की कड़ी मेहनत, समर्पण और सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने अपने संदेश में कहा कि यह प्रत्येक हिमाचली के लिए गर्व का विषय है कि हिमाचल प्रदेश एक आदर्श राज्य के रूप में उभरा है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आहवान किया कि वे भारत को विकसित और समृद्ध राष्ट्र बनाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनकल्याण और समावेशी विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि समाज के सभी वर्गों के सहयोग से हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर तथा देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने का लक्ष्य अवश्य साकार होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों के विनियमन को लेकर मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक

शिमला/शैल। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों के विनियमन के संबंध में गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण एवं नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी तथा लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह उपस्थित रहे।

बैठक में पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों के विनियमन एवं सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए गए। इन सुझावों में भवनों की अधिकतम ऊंचाई निर्धारित करने, नदी, नाला एवं खड्ड से सुरक्षित दूरी बनाए रखने, भवन निर्माण में आवश्यक सेट-बैक के लिए स्थान छोड़ने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए लाइन डायग्राम नक्शा अनिवार्य रूप से जमा करवाने जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल रहे।

उप-समिति के सदस्यों ने प्रस्तुत सुझावों पर विस्तृत चर्चा करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित, सुरक्षित और नियोजित विकास सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

गणतंत्र दिवस पर उद्योग विभाग की झांकी ने दर्शाया हिमाचल का औद्योगिक आत्मविश्वास

शिमला/शैल। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग की झांकी ने प्रदेश की औद्योगिक चेतना, सांस्कृतिक विरासत और नवाचार की दिशा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। झांकी का केंद्र बिंदु हाल ही में शिमला में आयोजित हिम एमएसएमई उत्सव 2026 रहा, जिसने प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों MSME को नई पहचान और गति प्रदान की।

झांकी का सबसे आकर्षक दृश्य था हैंडलूम से निर्मित 4023 हस्तनिर्मित शॉलों का भव्य प्रदर्शन, जिसने गिनीज बुक रिकॉर्ड में जगह बना कर हिमाचल के कारीगरों और बुनकरों को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित किया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इसे आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में एक सशक्त कदम बताया और कहा कि हस्तशिल्प, नवाचार और उद्यमिता का यह संगम प्रदेश की औद्योगिक प्रगति को केवल योजनाओं तक सीमित न रखकर जमीन पर परिणाम दिखाता है।

झांकी में उभरते उद्यम, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्टार्टअप्स और विभाग की प्रमुख उपलब्धियों को भी प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग आर.डी. नजीम ने कहा कि यह झांकी राज्य की औद्योगिक सोच का जीवंत उदाहरण है, जिसमें पारंपरिक कौशल को आधुनिक मंच प्रदान कर स्थानीय उद्यमों को वैश्विक पहचान दिलाई जा रही है। आयुक्त उद्योग डॉ. यूनुस ने कहा कि हिम एमएसएमई उत्सव ने उद्यमियों को केवल मंच ही नहीं दिया, बल्कि उनके उत्पादों और विचारों को मान्यता भी दिलाई।

झांकी ने यह संदेश भी दिया कि सीईओ मीट, एक जिला-एक उत्पाद पहल, महिला उद्यमिता कार्यक्रम और नवाचार केंद्रित सत्र प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए द्वार खोल रहे हैं। अतिरिक्त निदेशक उद्योग तिलक राज शर्मा ने कहा कि ये पहलें हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेंगी।

यह झांकी एक प्रदर्शन ही नहीं थी, बल्कि प्रदेश के औद्योगिक आत्मविश्वास, सृजनशीलता और भविष्य की संभावनाओं का जीवंत चित्र प्रस्तुत कर रही थी। यह संदेश देती है कि परंपरा और प्रगति साथ चलें तो विकास की राह और भी उजली बनती है।

मुख्यमंत्री ने पूर्ण राज्यत्व दिवस पर प्रागपुर में फहराया राष्ट्रीय ध्वज

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के प्रागपुर में आयोजित 56वें पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड टुकड़ियों की सलामी ली। यह पहली बार था जब पूर्ण राज्यत्व दिवस का राज्य स्तरीय समारोह प्रागपुर में आयोजित किया गया। परेड का नेतृत्व आईपीएस अधिकारी तरुणा ने किया, जिसमें आईआरबीएन जंगलबैरी, सकोह व पंडोह, पुलिस जिला नूरपुर, होमगार्ड्स, एसडीआरएफ, ट्रैफिक पुलिस, वन मित्र, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स सहित विभिन्न इकाइयों ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार के योगदान को स्मरण किया। उन्होंने किसानों और बागवानों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य में कृषि एवं बागवानी आयोग के गठन की घोषणा की और बताया कि इसके लिए आगामी बजट सत्र में विधेयक लाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने जसवां विधानसभा क्षेत्र के प्रागपुर में एसडीएम कार्यालय तथा नल्सूहा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा भी की।

उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार से विरासत में मिली 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की वेतन और पेंशन देनदारियों को घटाकर 8,555 करोड़ रुपये किया गया है। कठिन वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने इस माह 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों के लंबित बकाया का पूर्ण भुगतान करने का

निर्णय लिया है, जिस पर लगभग 90 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 2016 से 2021 के बीच सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के बकाया का 50 प्रतिशत और लीव एनकैशमेंट के बकाया का 70 प्रतिशत भुगतान जनवरी में किया जाएगा, जिस पर 96 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किया जा रहा 'समृद्ध हिमाचल विजन' दस्तावेज अंतिम चरण में है, जो पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रतिरोधक क्षमता और समावेशी विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। यह दस्तावेज प्रदेश के सतत विकास के लिए एक साझा रोडमैप का कार्य करेगा।

मुख्यमंत्री ने वित्तीय चुनौतियों, केंद्र से मिलने वाले अनुदानों में कमी, आपदाओं से निपटने के प्रयासों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक सहायता, मनरेगा मजदूरी में बढ़ोतरी, बीपीएल मानदंडों में सुधार, स्वास्थ्य व शिक्षा सुधारों और नशा विरोधी अभियान पर भी विस्तार से प्रकाश डाला।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा निर्मित वेब सीरीज 'द व्हाइट ट्रुथ' का विमोचन भी किया। समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक दलों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दीं तथा परेड व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वालों को सम्मानित किया गया। समारोह में आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा, विधायकगण, वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने सुलह विधानसभा क्षेत्र को दी 76.41 करोड़ रुपये की सौगात

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के सुलह विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान लगभग 76.41 करोड़ रुपये की लागत की 14 विकास

परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कर क्षेत्र को बड़ी सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने नव स्तरोन्नत तहसील सुलह का विधिवत शुभारम्भ भी किया।

मुख्यमंत्री ने हमीरपुर सुजानपुर थुरलॉमरांडा मार्ग पर मौल खड्ड पर 12.57 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित दो लेन पुल तथा मलाग से मलाहा लिंक रोड पर मौल खड्ड पर 3.57 करोड़ रुपये से बने पुल का लोकार्पण किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने धीरा में 10.82 करोड़ रुपये की लागत से बने संयुक्त कार्यालय भवन, 5.02 करोड़ रुपये से निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन धीरा तथा विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य उप-केंद्र भवनों का उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री ने सुलह में 89 लाख रुपये की लागत से बने पशु चिकित्सालय भवन, मूंधी में 49 लाख रुपये से बने पशु औषधालय भवन और राजकीय उच्च विद्यालय भट्टु समूला में 50 लाख रुपये की लागत से निर्मित अतिरिक्त आवासीय सुविधा का भी लोकार्पण किया।

इसके अलावा, उन्होंने तहसील पालमपुर में झरेत राजहूं और परौर खरोत पेयजल आपूर्ति योजनाओं के 5.45 करोड़ रुपये के सुधार कार्य तथा भवारना, भेड़ू महादेव ब्लॉक के कुछ क्षेत्रों और घलून के लिए 31.69 करोड़ रुपये की जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री ने 2.87 करोड़ रुपये की लागत से गल्लू भोडा से शिवनगर मार्ग पर पुल तथा 2 करोड़ रुपये की लागत से चौधरी तारा चंद राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गग्गल के अतिरिक्त परिसर की आधारशिला भी रखी।

मुख्यमंत्री ने 79.60 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के जसवां प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रागपुर में कुल 79.60 करोड़ रुपये की आठ विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए।

मुख्यमंत्री ने कस्बा कोटला में 6.14 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित मॉडल करियर सेंटर, रक्कड़ में 78 लाख रुपये की लागत से बने ट्रेजरी कार्यालय भवन, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सलेटी में 1.04 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित अतिरिक्त आवास तथा जसवां प्रागपुर जल शक्ति विभाग के नवगठित मंडल के लिए 1.74 करोड़ रुपये की लागत से बने कार्यालय भवन का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर उन्होंने उपमंडलीय पुलिस अधिकारी एसडीपीओ कार्यालय डाडासीबा तथा डाडासीबा, संसारपुर मेन और संसारपुर टैरेस में पुलिस थानों का भी उद्घाटन किया।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने

9.60 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली पीरसलूही कांगड़ा से किटपल हमीरपुर लिंक रोड, तहसील प्रागपुर में हेरिटेज गांव गरली और प्रागपुर के लिए 25.16 करोड़ रुपये की सीवरेज योजना, जसवां प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रक्कड़ जल शक्ति विभाग उपमंडल में विभिन्न नालों एवं खड्डों पर 16.12 करोड़ रुपये की लागत से चेक डैम एवं तटबंधों के निर्माण तथा कांगड़ा जिला में संसारपुर टैरेस विद्युत उपमंडल के तहत कस्बा कोटला में 33/11 केवी जीआईएस सब-स्टेशन के निर्माण हेतु 18.96 करोड़ रुपये की सिस्टम सुधार योजना का शिलान्यास भी किया।

पीएमजीएसवाई–के तहत हिमाचल को मिली 2,247.24 करोड़ रुपये की स्वीकृति

शिमला/शैल। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-cSp& के तहत हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तावित ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

मंत्री ने कहा कि 294 सड़क कार्यों को मंजूरी दी गई है, जिनकी कुल लंबाई 1,538.058 किलोमीटर और कुल लागत 2,247.24 करोड़ रुपये है। इसमें से 2,019.70 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और 227.54 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। प्रति किलोमीटर औसत लागत 146.11 लाख रुपये तय की गई है।

स्वीकृत परियोजनाओं में बिलासपुर (4, चंबा (65), हमीरपुर (2), कांगड़ा (12), किन्नौर (8), कुल्लू (65), लाहौल-स्पीति (2), मंडी (23), शिमला (97), सिरमौर (11), सोलन (3) और ऊना (2) जिले की सड़कें शामिल हैं।

मंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में सड़क संपर्क में सुधार होगा, जिससे लोगों की आवाजाही आसान होगी और आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक अवसर बढ़ेंगे।

विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण अवसंरचना को सुदृढ़ करने और प्रदेशवासियों को सुरक्षित, विश्वसनीय और हर मौसम में सड़क संपर्क उपलब्ध कराने में मददगार साबित होंगी।

राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप–समिति की दो अलग–अलग बैठकें आयोजित

शिमला/शैल। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप-समिति की दो अलग-अलग बैठकें आयोजित की गईं।

पहली बैठक में शिमला शहर से बढ़ती भीड़-भाड़ को कम करने के उद्देश्य से सब्जी मंडी लोअर बाजार, अनाज मंडी, टिंबर मार्केट लक्कड़ बाजार, मैकेनिकल मार्केट कच्ची घाटी तथा ट्रांसपोर्ट एरिया को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण तथा नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे।

बैठक में उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने जानकारी दी कि ढली फोरलेन पर पांच संभावित स्थलों को चिन्हित किया गया है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही इन स्थलों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। बैठक में शिमला शहर की चार पार्किंग परियोजनाओं से जुड़े विवाद पर भी विचार-विमर्श किया गया। शहर से भीड़-भाड़ कम करने के लिए पूर्व उप-महापौर टिकेंद्र पंवर ने भी अपने सुझाव रखे। बैठक में मुख्यमंत्री के इन्फ्रास्ट्रक्चर सलाहकार अनिल कपिल, नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेंद्र अत्री तथा संयुक्त सचिव कानून विवेक ज्योति भी उपस्थित रहे।

इसके पश्चात राजस्व मंत्री ने बद्दी में हिम चंडीगढ़ सिटी बसाने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण तथा नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी भी उपस्थित थे।

उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने हिम चंडीगढ़ सिटी परियोजना को लेकर विस्तृत प्रस्तुति दी तथा भूमि से संबंधित सभी मुसाबियां प्रदर्शित कीं। बताया गया कि हिमुडा शीघ्र ही ड्रोन सर्वे के माध्यम से मुसाबियों को डिजिटल रूप में तैयार करेगा। बैठक में जानकारी दी गई कि हाउसिंग के लिए 3,428 बीघा भूमि आवंटित की जा चुकी है, जबकि कॉमन पूल की लगभग 5,000 से 6,000 बीघा भूमि भी चिन्हित कर ली गई है। बताया गया कि हिमुडा और राजस्व विभाग के तहसीलदार संयुक्त रूप से कार्य करते हुए एक माह के भीतर भूमि का समेकन कर एक चक तैयार करेंगे। मंत्रिमंडलीय उप-समिति की आगामी बैठक में प्रगति की पुनः समीक्षा की जाएगी। बैठक में हिमुडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेंद्र वशिष्ठ भी उपस्थित रहे।

हिमाचल पुलिस के लिए 'HIMBUS' कार्ड अनिवार्यता खत्म, मुख्यमंत्री ने दी राहत

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि अब हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवानों के लिए HRTC बसों में सफर के लिए 'HIMBUS' कार्ड बनवाना अनिवार्य नहीं होगा। यह फैसला पुलिसकर्मियों की यात्रा को आसान बनाने और उन पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉन्स्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के पुलिसकर्मी पहले से ही अपने वेतन से HRTC को एक तय राशि देते हैं। ऐसे में डिजिटल 'HIMBUS' कार्ड के लिए अतिरिक्त शुल्क लेना उचित नहीं है। अब पुलिसकर्मी अपने विभागीय आईडी कार्ड (ID Card) और मैनुअल पास दिखाकर बस में सफर कर सकते हैं। इन्हें ही वैध माना जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि पुलिसकर्मियों को ड्यूटी और जांच के सिलसिले में राज्य भर में लगातार भ्रमण करना पड़ता है। डिजिटल वेरिफिकेशन की वजह से अक्सर समय की बाधा आती थी, जिसे ध्यान में रखते हुए यह छूट दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से हिमाचल के हजारों पुलिस जवानों को राहत मिलेगी और वे बिना किसी अतिरिक्त खर्च या कागजी कारवाई के अपनी ड्यूटी प्रभावी ढंग से कर सकेंगे।

इस पहल से पुलिसकर्मियों का समय बचेगा और वे जनता की सुरक्षा व कानून-व्यवस्था बनाए रखने के अपने कार्य में अधिक सशक्त रूप से योगदान कर पाएंगे।

वह परिवर्तन स्वयं बनें जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं।
......महात्मा गांधी

सम्पादकीय

भ्रष्टाचार और काले धन पर घिरती मोदी सरकार

केन्द्र में 2014 में भ्रष्टाचार और काले धन के जिन मुद्दों पर सत्ता परिवर्तन हुआ था क्या उन मुद्दों से देश को मोदी के 11 वर्ष के शासन में निजात मिल गयी है या उनका आकार आज पहले से भी कहीं गुना बढ़ गया है? यह सवाल गौतम अडाणी का मुद्दा सामने आने के बाद हर भारतीयों के लिए एक चिन्ता और चिन्तन का विषय बन गया है। क्योंकि यह मुद्दा अमेरिकी अदालत में पहुंचने के बाद भारत सरकार और प्रधानमंत्री ने जिस तरह की प्रतिक्रियाएं इस पर दी हैं उससे यह और जटिल हो गया है। क्योंकि इन प्रतिक्रियाओं से जहां गौतम अडाणी और प्रधानमंत्री मोदी के संबंधों की प्रगाढ़ता सामने आयी है उससे यह आशंका बढ़ गयी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन शब्दों के साये में भारत को अपनी शर्तों पर व्यापार समझौता करने के लिए विवश कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो भारत की स्थिति आने वाले समय में वेनजुऐला जैसी होने का खतरा है। इस पूरे परिदृश्य में यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या भारत सरकार इस स्थिति पर देश की जनता के सामने सारे तथ्यों को रखने का साहस कर पायेगी। क्योंकि आज गौतम अडाणी का संकट पूरे देश का संकट बनता जा रहा है। क्योंकि अडाणी को लेकर जब भी देश में सवाल उठे हैं तो मोदी सरकार ने उनका जवाब देने की बजाये विषयान्तर करने का ही विकल्प चुना है। आज अडाणी अमेरिकी अदालत में जिस तरह से घिर गये हैं उसका नुकसान पूरे देश को होगा यह तय है। क्योंकि अडाणी पर उठे सवाल भ्रष्टाचार और काले धन के स्पष्ट प्रमाण हैं जिन पर मोदी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है।

लेकिन जिस अनुपात में अडाणी संकट सामने है उसी अनुपात में भारत सरकार इसके तथ्यों को देश के सामने रखने की बजाये उन्हें विषयान्तर करके दबाने का प्रयास कर रही है। इसलिए मोदी सरकार से सीधे सवाल करने का समय आ गया है। 2014 और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव जिस बहुमत के साथ विषयान्तर करके मोदी भाजपा ने जीते उनका सच पिछले चुनाव में सामने आ गया है। इस चुनाव के बाद वोट चोरी का सच सामने आ गया है। बिहार में चुनाव परिणामों को लेकर मामला उच्च न्यायालय में पहुंच चुका है। कर्नाटक में इस पर मामला दर्ज है। अब कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग ने वहां नगर निगमों के चुनाव ईवीएम मशीनों की जगह मत पत्रों से करवाने का फैसला लिया है। इस चुनाव में करीब 90 लाख मतदाता वोट डालेंगे। यह चुनाव एक ही दिन में होंगे और उनके परिणाम भी एक ही दिन में आ जाएंगे। भाजपा मत पत्रों के माध्यम से चुनाव करवाये जाने का विरोध कर रही है। यदि कर्नाटक में यह प्रयोग सफल रहता है तो शीर्ष अदालत और चुनाव आयोग के सामने मत पत्रों से चुनाव न करवाने का ठोस तर्क नहीं बचेगा। इस समय भाजपा सरकारों पर यह आरोप लगातार गहराता जा रहा है कि यह सरकारें न्यायपालिका पर पूरे नियंत्रण के प्रयासों में लगी हुई हैं। ई.डी. और सीबीआई के दुरुपयोग पर ममता सरकार केन्द्र के साथ सीधे टकराव पर आ गयी है। मामला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। इसी बीच शंकराचार्य प्रकरण पर पूरे हिन्दू समाज में जिस तरह की प्रतिक्रियाएं उभरी हैं उससे भाजपा का हिन्दुत्व प्रश्नित हो गया है। कुल मिलाकर जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित होती जा रही हैं उससे मोदी सरकार अपने ही एक समय पर उठाये गये सवालों में घिरती जा रही है।

आयुर्वेद:प्राचीन चिकित्सा पद्धति का वैश्विक उत्थान

डॉ. नीलम महेंद्र

हाल ही में जयपुर के एसएमएस और उसके संबद्ध अस्पतालों में की गई रिसर्च में यह बात सामने आई है कि मनुष्यों में एंटीबायोटिक दवाओं का असर 57% से 90% तक कम हो गया है। कुल 9776 मरीजों पर की गई रिसर्च में पता चला कि इनमें से एक भी मरीज ऐसा नहीं था जिसे एंटीबायोटिक का 60% भी असर हुआ हो। इन सभी के शरीर में एंटीबायोटिक्स के प्रति 60% से 98% तक रेजिस्टेंस आ गया है। जिन एंटीबायोटिक्स का असर बिल्कुल खत्म हो गया है उनमें सिप्रोफ्लाक्सासिन, एरोथ्रोमाइसिन, डॉक्सिसाइकिलिन, एमपीसीलिन जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक (एक ऐसा एंटीबायोटिक जो कई तरह के बैक्टीरिया खासकर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं पर असर करता है) शामिल हैं जो अपने आप में अत्यंत चिंताजनक है। दरअसल यह इन एंटीबायोटिक के अत्यधिक प्रयोग का साइड इफेक्ट है।

एलोपैथिक दवाओं के साइड इफेक्ट इतने पर ही सीमित नहीं हैं। अब धीरे धीरे यह बात सामने आने लगी है कि लगभग हर अंग्रेजी दवा का कोई न कोई साइड इफेक्ट होता ही है। हालांकि हर दवा कंपनी दवा की पैकिंग के समय उसके उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में एक पर्ची में सारी जानकारी देती है लेकिन फिर भी जब से एलोपैथी अस्तित्व में आई, उसकी दवा से मिलने वाले तात्कालिक राहत को देखते हुए अधिकांश लोगों का झुकाव उसकी ओर होता चला गया। लेकिन पिछले कुछ समय से इस प्रकार की रिसर्च और रिपोर्टें लोगों को सोचने के लिए विवश कर रही है। खास तौर पर सोशल मीडिया के इस डिजिटल दौर में जब कोई भी सूचना क्षण भर में आम हो जाती है, तो आम आदमी भी खास जानकारी से युक्त हो के जागरूक हो जाता है।

नतीजन आज विश्व भर में लोग स्वस्थ्य रहने के लिए प्रकृति, आयुर्वेद, प्राणायाम और योग की ओर लौट रहे हैं।

यही कारण है कि आयुर्वेद, जो कि एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान है,वर्तमान में सम्पूर्ण विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आज यह न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के साथ साथ कई जानलेवा बीमारियों से लड़कर पुन: स्वस्थ होने की राह दिखा रहा है।

दरअसल आधुनिक जीवन शैली के परिणाम स्वरूप आजकल लोगों को कम उम्र में ही मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापा जैसे रोग हो रहे हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में जब अंग्रेजी दवाइयों के दुष्प्रभाव सामने आने लगे हैं, तब जनमानस में एक सुखद बदलाव यह देखने को मिल रहा है कि अब वे अंग्रेजी दवाइयों का सहारा लेने के बजाए अपनी दिनचर्या में बदलाव लाकर इन बीमारियों से बचने के लिए प्राकृतिक आहार विहार को अपनाकर स्वस्थ होने पर बल दे रहे हैं। खास तौर पर कोरोना महामारी के दौरान जिस प्रकार लोग आयुर्वेद के साधारण घरेलू नुस्खों से अपनी इम्युनिटी बढ़ाकर इस जानलेवा बीमारी से लड़कर खुद को बचाए रखने में कामयाब रहे उसने विश्व भर में आयुर्वेद की लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया।

परिणाम स्वरूप 2023 तक वैश्विक आयुर्वेद बाजार का आकार लगभग 12.9 बिलियन डॉलर आ गया था और यह 2030 तक 76.91 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो 27.2% की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है।

आयुर्वेद के बढ़ते प्रभाव का एक प्रमाण यह भी है कि भारत के आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को प्रोत्साहित करने और उनके वैज्ञानिक आधार को मजबूत करने के लिए 2023 में एक समझौता किया गया। इसका उद्देश्य सम्पूर्ण विश्व में आयुर्वेद की स्वीकार्यता और विभिन्न रोगों के उपचार में आयुर्वेद की प्रभावशीलता को देखते हुए तकनीकी प्रमाण आधारित आयुर्वेदिक उत्पादों का विकास करना है।

दरअसल आज भारत ही नहीं विश्व के विभिन्न शोध संस्थान आयुर्वेद के चिकित्सीय लाभों और इसके औषधीय उपयोगों पर व्यापक अनुसंधान कर रहे हैं।

तुलसी, सर्पगन्धा,अश्वगंधा, गिलोय, नीम, आंवला, हल्दी जैसे पौधों पर किए गए वैज्ञानिक अनुसंधानों के परिणामों ने विश्व भर के वैज्ञानिकों को अचंभित किया है। इन आयुर्वेदिक औषधियों पर रिसर्च करने पर यह बात सामने आई कि ये साधारण पौधे या वनस्पतियां नहीं हैं बल्कि औषधीय गुणों की खान हैं। ये सिर्फ मानव शरीर ही नहीं मन पर भी अपना औषधीय प्रभाव डालती हैं।

यही कारण है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात हो या मानसिक तनाव कम करने की बात हो, शरीर को स्वस्थ रखना हो या फिर युवा रखना हो, आज लोग इन बातों के लिए आयुर्वेद का सहारा ले रहे हैं।

गौरतलब है कि वर्तमान दौर में आयुर्वेद केवल चिकित्सा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सौंदर्य और पोषण उत्पादों के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण एवं अग्रणी भूमिका में आ चुका है। असल में आज दुनिया भर के लोग एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट और और विभिन्न हानिकारक केमिकल से युक्त सौंदर्य प्रसादनों के दुष्प्रभावों से त्रस्त हो चुके हैं। शायद इसलिए जिन्हें लोग पहले जड़ी बूटी कहकर नकार देते थे आज वे हर्बल और नेचुरल या फिर प्राकृतिक उत्पादों के रूप में लोगों की पहली पसन्द बन चुके हैं। नतीजन इन हर्बल उत्पादों की मांग घरेलू के साथ साथ वैश्विक उपभोक्ताओं के बीच भी तेजी से बढ़ रही है। आज वैश्विक स्तर पर भारत ही नहीं बल्कि चीन, जापान और यूरोपीय देशों में भी आयुर्वेदिक उत्पादों और सेवाओं की बढ़ती मांग, आयुर्वेद की वैश्विक स्वीकार्यता का प्रमाण है।

दरअसल विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधानों ने आयुर्वेद को विज्ञान की कसौटी पर मानव स्वास्थ्य के लिए खरा साबित किया है। क्योंकि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी में जब आधुनिक चिकित्सा पद्धति में खतरनाक रेडिएशन और केमोथेरेपी का सहारा लिया जाता है तो मरीज के शरीर की कैंसर कोशिकाओं को नुकसान पहुंचने के साथ साथ शरीर की स्वस्थ कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं। इससे मरीज को बेहद शारिरिक पीड़ा एवं वेदना से गुजरना पड़ता है। इतना ही नहीं बल्कि स्वस्थ होने के बाद भी दीर्घ काल तक रेडिएशन और केमोथेरेपी के साइड इफेक्ट का सन्ताप भी झेलना पड़ता है। वहीं रिसर्च में हल्दी और गिलोय जैसी आयुर्वेदिक औषधियों में कैंसर-रोधी गुण पाए गए हैं।

खास बात यह है कि आयुर्वेद पर किए गए प्रयोगों के इस प्रकार के नतीजों से उत्साहित वैज्ञानिक अब आयुर्वेदिक औषधियों को आधुनिक तकनीकों, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, के साथ जोड़ रहे हैं।

आज जब पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों गंभीर संकट के दौर से गुजर रहे हैं, आयुर्वेद एक प्रभावी समाधान के रूप में उभर कर आया है। क्योंकि यह न केवल गम्भीर से गम्भीर बीमारियों का उपचार प्रदान कर रहा है, बल्कि मानव को प्रकृति के साथ जोड़ रहा है, उसे प्रकृति के करीब ला रहा है।

यहां यह समझना आवश्यक है कि आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का विज्ञान है। दिन, रात, सर्दी, गर्मी, बरसात, समय के इस बदलते चक्र के साथ, प्रकृति के बदलते रंग के साथ, अपनी दिन चर्या, आहार विहार, खान पान में बदलाव लाकर, प्रकृति के साथ मानव शरीर का सामंजस्य बनाने का विज्ञान।

आज जब विश्व आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के दुष्प्रभावों और सीमाओं का सामना कर रही है, भारत का हज़ारों साल पुराना चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद एक नई उम्मीद के रूप में उभर रहा है। भारतीय योग परम्परा के बाद आयुर्वेद की यह वैश्विक स्वीकार्यता भारत के गौरवशाली और समृद्ध अतीत का प्रमाण है।

हम भारत के लोग और हमारा सतत दायित्व

– राजनाथ सिंह

भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने 16 मई 1952 को पहली लोकसभा को संबोधित करते हुए, संसद सदस्यों को उनके लोकतांत्रिक दायित्वों की गंभीरता का स्मरण कराया था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि संविधान के लागू होते ही, राष्ट्रपति के निर्वाचन और पहले आम चुनाव के साथ स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का प्रथम चरण पूरा हो चुका है और देश अब ऐसे दूसरे चरण में प्रवेश कर रहा है, जिसमें कोई विराम नहीं होगा। उनके अनुसार दूसरे चरण की लोकतान्त्रिक यात्रा तभी सफल होगी जब राज्य और शासन व्यवस्था जन–आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पूरी तरह समर्पित होगा।

हमारे संविधान निर्माताओं ने शासन व्यवस्था के केंद्र में इस नैतिक दायित्व को स्थापित करके, राज्य और नागरिकों के बीच के संबंध को पुन: परिभाषित किया था। अब भारत के लोग किसी शासक की प्रजा नहीं, बल्कि अधिकारों से युक्त नागरिक बन चुके थे।

लोकतंत्र की एक परिभाषा के अनुसार, लोकतंत्र का अर्थ होता है 'ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल' यानि 'जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए' शासन।

हमारे संविधान की प्रस्तावना में यह साफ है कि हमारे देश में संप्रभुता जनता के हाथों में हैं और यह संविधान भारत के लोगो ने ही स्वयं के लिए गढ़ा हैं। इसलिए संविधान के अंगीकरण के साथ ही 'ऑफ द पीपल' का सिद्धांत, साकार हो गया था।

दूसरा सिद्धांत–बाय द पीपल, वर्ष 1952 के पहले आम चुनावों के साथ स्थापित हुआ जब लोकसभा और विधानसभाओं के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ।

लेकिन लोकतंत्र का तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत–फॉर द पीपल, एक निरंतर प्रक्रिया है। इसी निरंतर प्रक्रिया की बात डॉ राजेन्द्र प्रसाद ने की थी जब उन्होंने भारत की दूसरे चरण की यात्रा में कोई विराम न होने की बात कही थी। इन सारे तथ्यों से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान और लोकतंत्र की पूरी व्यवस्था के केंद्र में 'हम भारत के लोग' हैं और उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान का ध्येय है। यह ध्येय हमेशा भारत की राजनीतिक चेतना का अभिन्न अंग रहा है। प्राचीन भारत में 'योग–क्षेम' का सिद्धांत व्यक्ति के कल्याण और सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। महात्मा गांधी के 'सर्वोदय' के विचार के केंद्र में भी सभी का उत्थान है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का 'एकात्म मानववाद' और 'अंत्योदय' के सिद्धांत भी व्यक्ति के सम्पूर्ण विकास और वंचित वर्गो के उत्थान पर केंद्रित हैं। विकास के केंद्र में नागरिकों को रखने की यह परंपरा वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति 'सबका साथ, सबका विकास' में भी निहित है।

वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जनता केंद्रित शासन व्यवस्था की यह सोच सरकार की नीतियों और कार्यो में स्पष्ट दिखायी देती है। इससे संवैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति को गति और शक्ति मिली है। संविधान में मौजूद नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत राज्य पर श्रमिकों के लिए मानवीय और न्यायपूर्ण परिस्थितियां सुनिश्चित करने का दायित्व है। इसी दिशा में कार्य करते हुए हाल में ही केंद्र सरकार ने 29 श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में पिरोया है। यह श्रमिकों के लिए बेहतर आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम है। संविधान राज्य को यह निर्देश देता है कि वह आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति तभी संभव है, जब समाज के हर वर्ग को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर उपलब्ध हों। पिछले वर्षो में लिए गए कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों के चलते आज अवसरों की यह समानता हर स्तर पर बढ़ी है। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण स्टार्टअप इंडिया पहल है, जिसके हाल ही में दस वर्ष पूरे हुए हैं। इसकेअंतर्गत प्रदान किये जाने वाले नीतिगत सहयोग, आर्थिक मदद, और मेंटरशिप के माध्यम से, आज किसी भी व्यक्ति के लिए एक उद्योग शुरू करना बहुत आसान हुआ है। दिसम्बर 2025 तक देश में दो लाख से अधिक DPIIT–मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की स्थापना, इस बात का प्रमाण है कि समान अवसरों की नीति किस तरह समावेशी आर्थिक विकास को गति दे सकती है। इस पूरे क्रम में सबसे अधिक प्रेरक बात यह है कि इन स्टार्ट–अप्स को शुरू करने वालों में बड़ी संख्या में पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं। आर्थिक प्रगति तभी समावेशी बनती है, जब अवसरों की समानता हो। यह आय असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पिछले 12 वर्षो में सभी आर्थिक नीतियाँ इसी विचार से प्रेरित रही हैं।

इसी का परिणाम है कि आज भारत की आर्थिक प्रगति का लाभ प्रत्येक नागरिक तक समान रूप से पहुंच रहा है। विश्व बैंक के स्प्रिंग 2025 पावर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ के अनुसार, भारत ने पिछले दशक में 17.1 करोड़ लोगों को 'अत्यधिक गरीबी' (Extreme Poverty) से भी बाहर निकाला है। सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के साथ–साथ आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को भी आरक्षण का लाभ दिया गया है। केंद्र सरकार ने समावेशी विकास के साथ–साथ लोगों के लिए गरिमापूर्ण जीवन और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने पर भी निरंतर ध्यान केंद्रित किया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 जैसे कानूनों के माध्यम से सामाजिक न्याय को और भी मजबूती मिली है।

गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने की इसी भावना का एक अच्छा उदाहरण स्वच्छ भारत मिशन (SBM) भी है। इस मिशन का नेतृत्व लोग स्वयं कर रहे हैं। और उन्होंने इसे जनांदोलन का स्वरूप प्रदान किया है। यह केवल स्वच्छता तक सीमित पहल नहीं थी, बल्कि उन करोड़ों लोगों की गरिमा को पुनर्स्थापित करने का प्रयास था, जो दशकों तक खुले में शौच करने को मजबूर थे।

जनकल्याण की यही भावना 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' और 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' जैसी पहलों में भी साफ दिखती है। 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं, 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' कठिन समय में लाखों भारतीय परिवारों के लिए आशा की किरण बनकर उभरी है। इस योजना की 53 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं और 72 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी ग्रामीण भारत से आते हैं। यह सामाजिक सुरक्षा के समावेशी होने का प्रमाण है।

जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'आत्मनिर्भर भारत' का आहवान किया था, तो वह केवल अर्थव्यवस्था के स्तर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि नागरिकों के अंदर आत्म निर्भरता की भावना बढ़ाने का भी प्रयास था। इसलिए मुद्रा योजना और स्किल इंडिया मिशन जैसी पहलों के माध्यम से नागरिकों को स्वावलंबी और उद्यमशील बनाने पर बल दिया गया है। इन योजनाओं के केंद्र में 'आत्मनिर्भर नागरिक' बनाना है जो 'आत्मनिर्भर भारत' का आधार भी बन रहे है।

इसी क्रम में आयुष्मान भारत योजना एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बहुत लाभ हुआ है जो धन के अभाव में अच्छी स्वास्थ्य सेवा से वंचित थे। इसी तरह जन धन योजना ने बड़ी संख्या में नागरिकों को फॉर्मल बैंकिंग से जोड़कर वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है।

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में लोकतंत्र के तीनों सिद्धांत सशक्त अभिव्यक्ति पाते हैं क्योंकि विधायी संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने से संप्रभुता का सामाजिक आधार तो बढ़ेगा ही, नीति–निर्माण भी ज्यादा समावेशी होगा। यानि लोकतांत्रिक सिद्धांत का तीसरा सूत्र– फॉर द पीपल, जिसके केंद्र में जन–कल्याण है, एक सतत दायित्व है, जिसे हर पीढ़ी को अपने समय में निभाना पड़ता है। गणतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती सिर्फ इस बात पर ही नहीं निर्भर है कि उसकी संस्थाएं कितनी मजबूत और दीर्घजीवी है बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती हैं कि शासन व्यवस्था जनता के जीवन में कैसा बदलाव लाती है। हमें यह स्मरण रखना है कि भारतीय गणतंत्र की यात्रा सतत जारी रहनी चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी भी है। यह 77वां गणतंत्र दिवस सिर्फ़ इस दायित्व को स्मरण करने का ही अवसर नहीं हैं, बल्कि उससे आगे बढ़ कर यह संकल्प लेने का भी है कि 'हम भारत के लोग' अपने लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक मूल्यों को और अधिक गहराई से आत्मसात करें, उन्हें आचरण में उतारें, और यह सुनिश्चित करें कि शासन की हर दिशा और हर निर्णय के केंद्र में जनता और उसका कल्याण ही सर्वोपरि रहे।

आधुनिक चिकित्सा और आयुष के समन्वय से भारत को मिल रही वैश्विक पहचान

भारत विश्वस्तरीय चिकित्सा अवसंरचना, उच्च कुशल स्वास्थ्य पेशेवरों, उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकी और किफायती उपचार के संयोजन के साथ वैश्विक मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (एमवीटी) के प्रमुख गंतव्यों में तेजी से अपनी सशक्त पहचान बना रहा है। आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ आयुष आधारित पारंपरिक एवं समग्र स्वास्थ्य प्रणालियों का एकीकृत दृष्टिकोण भारत को अंतरराष्ट्रीय रोगियों के लिए एक सुरक्षित, विश्वसनीय और लागत–प्रभावी स्वास्थ्य सेवा गंतव्य के रूप में स्थापित कर रहा है।

भारत में जटिल शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं, हृदय एवं कैंसर उपचार, अंग प्रत्यारोपण, आर्थोपेडिक और न्यूरोलॉजिकल हस्तक्षेपों से लेकर दीर्घकालिक रोग प्रबंधन, पुनर्वास और कल्याण सेवाओं तक एक व्यापक और समेकित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली उपलब्ध है। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में अनुभवी एवं प्रसिद्ध विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की जा रही उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं वैश्विक स्तर पर तुलनात्मक रूप से कम लागत पर उपलब्ध हैं, जिससे भारत मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्राप्त कर रहा है।

आधुनिक चिकित्सा सेवाओं के साथ–साथ आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी आयुष प्रणालियां भारत की स्वास्थ्य सेवा पेशकश को विशिष्ट बनाती हैं। ये प्रणालियां न केवल उपचारात्मक, बल्कि निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य पर केंद्रित हैं तथा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के समग्र संतुलन को बढ़ावा देती हैं। जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों, तनाव संबंधी विकारों, पुरानी बीमारियों और पुनर्वास के लिए आयुष आधारित उपचारों की वैश्विक मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'वन अर्थ, वन हेल्थ' की भावना के अनुरूप वैश्विक स्वास्थ्य के लिए भारत के समग्र और मानव–केंद्रित दृष्टिकोण को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रेखांकित किया है। उन्होंने किफायती, विश्वसनीय और सुलभ चिकित्सा यात्रा को वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक बताया है। प्रधानमंत्री ने यह भी उल्लेख किया है कि भारत की हजारों वर्षो पुरानी स्वास्थ्य परंपरा निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य की एक सुदृढ़ आधारशिला प्रदान करती है, जिसकी वैश्विक प्रासंगिकता लगातार बढ़ रही है। योग, ध्यान और आयुर्वेद जैसी प्रणालियां आज विश्वभर में स्वास्थ्य और कल्याण के प्रभावी माध्यम के रूप में स्वीकार की जा रही हैं।

वैश्विक विश्वास और गुणवत्ता आश्वासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 19 दिसंबर 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारत मंडपम, नई दिल्ली में 'आयुष गुणवत्ता मार्क' का शुभारंभ किया गया। यह गुणवत्ता आश्वासन पहल आयुष उत्पादों और सेवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक मानकीकृत ढांचा प्रदान करती है, जिससे प्रामाणिकता, सुरक्षा, प्रभावशीलता और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। इससे अंतरराष्ट्रीय रोगियों और उपभोक्ताओं के बीच आयुष आधारित स्वास्थ्य सेवाओं में विश्वास को और मजबूती मिली है।

अंतरराष्ट्रीय रोगियों की सुगम और संरचित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा आयुष चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत उपचार चाहने वाले विदेशी नागरिकों एवं उनके परिचारकों के लिए समर्पित आयुष वीजा की शुरुआत की गई है। यह पहल पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को औपचारिक मेडिकल वैल्यू ट्रैवल ढांचे से जोड़ती है और आयुष आधारित उपचारों को वैश्विक स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य में अधिक सुलभ बनाती है।

भारत के किफायती चिकित्सा यात्रा रोडमैप को सुदृढ़ करने में नीतिगत समर्थन और संरचनात्मक सुधारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चिकित्सा अवसंरचना क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति, सार्वजनिक–निजी भागीदारी मॉडल को बढ़ावा, चिकित्सा सेवा निर्यात के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, लक्षित वैश्विक पहुंच कार्यक्रम और डिजिटल सुविधा जैसे कदमों से भारत का स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना है। बीमा कवरेज के दायरे का विस्तार भी मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को प्रोत्साहित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक बनकर उभरा है।

गुणवत्ता और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा मेडिकल वैल्यू ट्रैवल से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाया गया है। इससे सेवा प्रदायगी में एकरूपता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ावा मिला है। इसके साथ ही डिजिटल प्लेटफार्मो, सुविधा केंद्रों और एकल–खिड़की तंत्र के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय रोगियों के लिए सूचना, पंजीकरण और सेवाओं की उपलब्धता को सरल बनाया जा रहा है।

आंकड़े भारत की मेडिकल वैल्यू ट्रैवल क्षमता में हो रही तीव्र प्रगति को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय रोगियों की संख्या वर्ष 2020 में 1.82 लाख से बढ़कर वर्ष 2024 में 6.44 लाख से अधिक हो गई है। हाल के वर्षो में योग, आयुर्वेद और स्वास्थ्य–आधारित कल्याण सेवाओं ने इस वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे भारत समग्र, साक्ष्य–आधारित और व्यक्ति–केंद्रित स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक पसंदीदा वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित हुआ है।

नीतिगत समर्थन, वीजा सुविधा, गुणवत्ता मानकों, बीमा कवरेज, कौशल विकास और लागत लाभ के समन्वय के साथ भारत की मेडिकल वैल्यू ट्रैवल यात्र निरंतर सुदृढ़ हो रही है। एकीकृत, समग्र और विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से भारत वैश्विक स्वास्थ्य सेवा मानचित्र पर अपनी भूमिका को और अधिक मजबूत कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने सुलह विधानसभा क्षेत्र को दी कई अहम घोषणाएं

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के सुलह विधानसभा क्षेत्र की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने सुलह में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का डिवीजन खोलने और भवारना को नगर पंचायत बनाने की भी घोषणा की।

सुलह में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा जिले के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार से क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरकारी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर सृजित कर रही है और 800 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती में अग्निवीरों को भी अवसर दिया जाएगा, साथ ही उन्हें 58 वर्ष तक नौकरी और ओपीएस का लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों के चलते हिमाचल प्रदेश गुणात्मक शिक्षा में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम लागू किया गया है और 200 से अधिक स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम से जोड़ा जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करते हुए उन्होंने कहा कि एक वर्ष के भीतर प्रदेश के सभी प्रमुख अस्पतालों में एम्स की तर्ज पर आधुनिक तकनीक उपलब्ध होगी तथा छह माह में सभी पीएचसी में डॉक्टर और मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ तैनात किए जाएंगे।

उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाने, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार और कमजोर वर्गों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नशा विरोधी जागरूकता की शपथ भी दिलाई।

भू–तापीय ऊर्जा से हरित हिमाचल का लक्ष्य होगा साकार

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शिमला में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2026 तक 'ग्रीन एनर्जी स्टेट' बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत राज्य की 90 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे जल, सौर और भू-तापीय ऊर्जा से की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य सरकार भू-तापीय ऊर्जा के दोहन की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। कुल्लू मणिकरण और कसोल और मंडी तत्तापानी जैसे क्षेत्रों में भू-तापीय ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, जहां सतही तापमान 57 से 97 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह ऊर्जा न केवल विद्युत उत्पादन, बल्कि गर्म जल आधारित पर्यटन, स्पा और वेलनेस उद्योग के लिए भी उपयोगी होगी।

छोटे भू-तापीय विद्युत संयंत्र दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में 24×7 विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराएंगे। इसका उपयोग आवासीय और व्यावसायिक भवनों में हीटिंग, कूलिंग, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि में किया जा सकता है, जिससे बिजली लागत और उपभोक्ता बिलों में कमी आएगी। साथ ही लकड़ी और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटेगी और वनों की कटाई पर नियंत्रण संभव होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भू-तापीय ऊर्जा का दोहन न केवल ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा, बल्कि पर्यटन, ईको-टूरिज्म और स्थानीय रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। उन्होंने इसे राज्य की स्वच्छ, आत्मनिर्भर और पर्यावरण अनुकूल विकास नीति के तहत एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम करार दिया।

बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावाः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शिमला के संजौली हेलीपोर्ट से हेलीकॉप्टर सेवाओं का उद्घाटन किया। अब संजौली हेलीपोर्ट से कुल्लू भुंतर हवाई अड्डा और किन्नौर रिकांगपिओ आईटीबीपी हेलीपैड के लिए रोजाना उड़ानें शुरू हो गई हैं। इसके अलावा, संजौली और चंडीगढ़ के बीच सप्ताह में तीन दिन सोमवार, शुक्रवार, शनिवार सेवाएं संचालित की जाएंगी। किराया संजौली-कुल्लू 3,500 रुपये, संजौली-रिकांगपिओ 4,000 रुपये और संजौली-चंडीगढ़ 3,169 रुपये प्रति यात्री निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुविधा पर्यटन और आम जनता दोनों के लिए फायदेमंद होगी, यात्रा समय कम करेगी और मेडिकल इमरजेंसी में भी मददगार साबित होगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले के मुख्यालय और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हेलीपोर्ट का निर्माण कर रही है। हमीरपुर, कांगड़ा, पालमपुर और चंबा में चार हेलीपोर्ट अगले मार्च-अप्रैल तक तैयार होंगे, जिनमें लगभग 15 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि संजौली हेलीपोर्ट का शिलान्यास 13 सितंबर 2017 को हुआ था, लेकिन डीजीसीए की मंजूरी न मिलने के कारण सेवाएं शुरू नहीं हो सकीं। वर्तमान सरकार के प्रयासों से 7 अगस्त 2025 को उड़ानों की अनुमति मिली।

इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष आर.एस. बाली, विधायक नीरज नै”यर, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, निदेशक पर्यटन विवेक भाटिया, उपायुक्त अनुपम कश्यप और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

यह पहल हिमाचल प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी मजबूत करेगी और राज्य में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को नया प्रोत्साहन देगी।

हिमाचल में पहली बार बनेगी पोषण नीतिः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की पहली पोषण नीति तैयार कर रही है, जिससे लोगों को समग्र रूप से लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में एकीकृत बाल विकास सेवा आईसीडीएस, मिड-डे मील योजना और पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम जैसी पोषण और खाद्य सुरक्षा योजनाएं चल रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति को अंतिम रूप देने से पहले पोषण और खाद्य परीक्षण से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। इसके तहत कंडाघाट लैब को 8.50 करोड़ रुपये की लागत से अपग्रेड किया जाएगा और कांगड़ा में नई फूड टेस्टिंग लैब स्थापित करने के लिए 25 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। आने वाले वर्षों में राज्य के अन्य हिस्सों में भी क्षेत्रीय टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएंगी।

उन्होंने निर्देश दिए कि इन प्रयोगशालाओं के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन जिले के बद्दी में नई प्रयोगशालाओं के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव जितेंद्र सांजटा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मनाली में 250 करोड़ की रिवरफ्रंट परियोजना से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने मनाली में विंटर कार्निवल-2026 का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 300 झांकियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और माल रोड पर इनका अवलोकन किया। उन्होंने मनाली में पर्यटन को और अधिक विकसित करने के लिए 250 करोड़ रुपये की लागत से रिवर फ्रंट बनाने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त परिधि गृह में नये कमरे, ओल्ड मनाली में पार्किंग निर्माण और सोलंग तथा कराल में भूस्खलन रोकथाम कार्यों के लिए भी धन आवंटित किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और अतिथि-सत्कार परंपरा देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करती है। राज्य सरकार पर्यटन स्थलों पर विंटर कार्निवल जैसे आयोजनों के माध्यम से पर्यटकों के अनुभवों को यादगार बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि पर्यटन प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और इसका लक्ष्य प्रदेश को वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाना है।

इस दिशा में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीन हिमाचल बायोडायवर्सिटी पार्क और नदियों के किनारे पार्क विकसित किए जा रहे हैं। नई इको-टूरिज्म नीति के तहत 11 साइटों का आवंटन हो चुका है और 27 अन्य साइटों की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके अलावा प्रदेश में 245 ट्रैकिंग रूट चिन्हित किए गए हैं और पर्यटकों की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने होम-स्टे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्याज अनुदान योजना की भी घोषणा की, जिसके तहत शहरी, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में निवेश पर 3 से 5 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। राज्य में 16 नए हेलीपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं ताकि सभी जिला मुख्यालयों को वर्षभर हवाई संपर्क से जोड़ा जा सके।

उन्होंने कहा कि साहसिक, धार्मिक, स्वास्थ्य और जल आधारित पर्यटन की संभावनाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। गोविंद सागर झील में क्रूज, हाउस बोट, जेट-स्की और वॉटर स्कूटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में भी पर्यटन अधोसंरचना का विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पर्यटन विकास हमेशा पर्यावरण के अनुकूल होगा, क्योंकि प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता सबसे अमूल्य धरोहर है।

विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने मनाली में हुए विकास कार्यों और बाढ़ नियंत्रण के लिये मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

एनएसयूआई के 'चिट्टा मुक्त कैंपस' कार्यक्रम का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शिमला से एनएसयूआई जिला मंडी के 'चिट्टा मुक्त कैंपस' कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अभियान का उद्देश्य स्कूल और कॉलेज परिसरों में युवाओं को नशे, विशेषकर चिट्टा के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और उन्हें शिक्षा, खेल एवं सकारात्मक गतिविधियों में जोड़ना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल प्रदेश सरकार के नशा मुक्त हिमाचल के विजन को मजबूत करती है और राज्य में चिट्टा व अन्य नशों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को गति प्रदान करेगी। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए ऐसे अभियान की महत्ता पर भी जोर दिया।

एनएसयूआई जिला मंडी के अध्यक्ष अनित जसवाल ने बताया कि कार्यक्रम मुख्यमंत्री के 'एंटी-चिटा अभियान' से प्रेरित है। अभियान के तहत जागरूकता सत्र, नशा विरोधी शपथ, एंटी-चिटा वॉकथॉन और स्पोर्ट्स टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम 23 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा, जिसमें पहले स्कूल स्तर और उसके बाद कॉलेज स्तर पर गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

इस अवसर पर विधायक संजय अवस्थी और राकेश कालिया भी उपस्थित थे।

हिमाचल में स्मार्ट व इलेक्ट्रिक परिवहन पर फोकस : उप-मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य परिवहन विकास एवं सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में परिवहन क्षेत्र में डिजिटल सुधार, हरित मोबिलिटी, सड़क सुरक्षा और रोजगार सृजन पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि जनवरी 2023 से दिसंबर 2025 तक परिवहन विभाग ने 2,597.59 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जो पिछली सरकार की समान अवधि की तुलना में लगभग 73 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि सुदृढ़ प्रवर्तन व्यवस्था और डिजिटल पहलों का प्रत्यक्ष परिणाम है।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नीति आयोग के इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश को अग्रणी राज्यों में शामिल किया गया है। यह राज्य सरकार की हरित हिमाचल योजना और सतत् विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग ने वाहन फिटनेस प्रक्रिया को पारदर्शी और वैज्ञानिक बनाने के लिए स्वचालित वाहन परीक्षण केंद्र एटीएस स्थापित किए हैं। सरकारी क्षेत्र में ऊना और हमीरपुर में, और निजी क्षेत्र में कांगड़ा, बिलासपुर, मंडी, सोलन और सिरमौर में एटीएस केन्द्र बनाए जा रहे हैं। रानीताल का एटीएस कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि अन्य में निर्माण तीव्र गति से जारी है।

डिजिटल सुधारों के तहत मोबाइल फिटनेस ऐप और ऑटो-अप्रूवल मैकेनिज्म लागू किए गए हैं, जिनसे वाणिज्यिक वाहनों की फिटनेस जांच, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट जैसी सेवाएं स्वचालित और पेपरलेस हो गई हैं। इसके अतिरिक्त पुराने पेट्रोल/डीजल वाहनों को ई-टैक्सी में परिवर्तित करने पर 40% सब्सिडी और 390 नए बस रूटों पर बस खरीद के लिए 30% तक सब्सिडी दी जा रही है।

सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए, छठी से बारहवीं कक्षा तक सड़क सुरक्षा पाठ्यक्रम लागू किया गया है। इसके परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं में 10%, मृत्यु दर में 9%, और गंभीर चोटों में 6% की कमी आई है। रोजगार सृजन के क्षेत्र में 1,061 स्टेज कैरिज बस रूट निजी क्षेत्र को स्वीकृत किए गए, और 39,000 से अधिक टैक्सी/मैक्सी परमिट जारी किए गए हैं, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिले हैं।

पर्यावरण संरक्षण के लिए परिवहन विभाग परिसर, शिमला में सौर ऊर्जा आधारित ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। राज्य में कुल 129 ईवी चार्जिंग स्टेशन चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 30 स्टेशन पहले से संचालित हैं। इस अवसर पर एम फिटनेस ऐप का शुभारंभ भी किया गया, जो डिजिटल फिटनेस निरीक्षण, फोटो और जीपीएस आधारित साक्ष्य, फर्जी प्रमाण-पत्र रोकथाम और रियल-टाइम डेटा समन्वयन की सुविधा प्रदान करता है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एचपीएससीबीएल की उपलब्धि पर दी बधाई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (एचपीएससीबीएल) को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के कार्यान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई दी है।

बैंक ने 'को-अ परेटिव बैंक-मध्यम राज्य' श्रेणी में खरीफ-2024 और रबी-2024-25 के दौरान योजना के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए देशभर में यह स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बैंक को प्रशंसा प्रमाण पत्र जारी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक किसानों और बागवानों के हित में विभिन्न योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बैंक की टीम की मेहनत और समर्पण की सराहना की और कहा कि पीएमएफबीवाई के सफल कार्यान्वयन से किसानों को बीमा सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन में मदद मिलेगी।

इस अवसर पर बैंक अध्यक्ष देवेन्द्र सिंह श्याम और प्रबंध निदेशक श्रवण मांटा ने प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद थे।

आपदा और पुनर्वास पर मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक आयोजित

शिमला/शैल। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश में आपदा और पुनर्वास से जुड़े मामलों पर मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में तकनीकी शिक्षा एवं नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी भी उपस्थित रहे।

बैठक में प्रदेश में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास की तैयारियों की समीक्षा की गई। पंचायतों में आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं और 250 इमारतों की रेट्रोफिटिंग की जाएगी। चंबा जिले के 60 स्कूलों में यह कार्य प्रगति पर है। आईजीएमसी शिमला, टांडा मेडिकल कॉलेज, दस क्षेत्रीय अस्पताल और तीन जोनल अस्पतालों की मैपिंग पर भी जोर दिया गया।

बैठक में राज्य स्तरीय बीमा समिति के कामकाज पर भी चर्चा हुई, जो आपदा के दौरान वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने और व्यय कम करने के लिए विभिन्न बीमा विकल्प तलाशेगी। इस समिति की पहली बैठक 12 जनवरी को आयोजित हुई थी।

साथ ही, मल्टी-हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने और आपदा हेल्पलाइन नंबर 1070 और 1077 का व्यापक प्रचार करने का निर्णय लिया गया। हेल्पलाइन को अब 112 के साथ एकीकृत भी किया गया है।

राज्य में आपदा के दौरान निजी हेलीकॉप्टर किराये पर लेने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के समक्ष पेश करने पर चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ में रिक्त पदों को पुलिस बल से भरने पर सहमति बनी।

बैठक में विशेष सचिव आपदा डीसी राणा, विशेष सचिव सामान्य प्रशासन हरबंस सिंह ब्रसकोन, एसडीआरएफ पुलिस अधीक्षक अर्जित सेन ठाकुर, निदेशक नगर नियोजन हेमिस नेगी, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

यह बैठक प्रदेश में आपदा प्रबंधन, पुनर्वास और वित्तीय सुरक्षा के समन्वित दृष्टिकोण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

उप-मुख्यमंत्री ने किया जल शक्ति विभाग के विश्राम गृहों के ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का शुभारम्भ

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग के विश्राम गृहों के लिए ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली का औपचारिक शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य बुकिंग प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है, ताकि विभागीय अधिकारियों और आम जनता दोनों को आसानी से कमरे बुक करने की सुविधा मिल सके।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि नई प्रणाली से बुकिंग तुरंत कन्फर्म होगी, जिससे पहले की तरह लंबा इंतजार और असमंजस समाप्त होगा। आवेदन करने के कुछ ही मिनटों में बुकिंग की स्थिति की जानकारी मिल जाएगी।

जल शक्ति विभाग के सचिव अभिषेक जैन ने बताया कि प्रदेश में विभाग के पास कुल 87 विश्राम गृह और 324 कमरे हैं। हिमाचली अतिथियों के लिए किराया 500 रुपये और गैर-हिमाचली अतिथियों के लिए 1,000 रुपये निर्धारित किया गया है। बुकिंग के समय 50 प्रतिशत अग्रिम भुगतान करना होगा, जबकि शेष राशि चेक-आउट के समय जमा की जा सकेगी।

डिजिटल पोर्टल के साथ-साथ विभाग ने 50 बिंदुओं की मानक संचालन प्रक्रिया लागू की है, जिसमें बिस्तरों की सफाई, शौचालयों की स्वच्छता, बिजली उपकरणों और परिसरों के रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिया गया है।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल सुविधा और बेहतर रख-रखाव से हिमाचल प्रदेश आने वाले आगंतुकों को उच्च गुणवत्ता की सेवाएं और बेहतर बुनियादी ढांचा मिलेगा।

इस अवसर पर प्रमुख अभियन्ता अंजु शर्मा, मुख्य अभियन्ता अनिल मेहता, हेमन्त तनवर, दीपक गर्ग, मुकेश हीरा और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मंत्रिमंडल के 1,116 निर्णय सफलतापूर्वक लागू: जगत सिंह नेगी

शिमला/शैल। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल उप-समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण एवं नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी, आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल तथा विधि मंत्री यादविंद्र गोमा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गये निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। जानकारी दी गई कि 13 जनवरी, 2023 से 30 जून, 2025 तक कुल 1,160 निर्णय लिए गए, जिनमें से 1,116 निर्णय सफलतापूर्वक लागू किए जा चुके हैं। शेष 44 निर्णयों पर चर्चा हुई, जो वित्त, स्वास्थ्य, उद्योग, जलशक्ति, बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा, पर्यटन और परिवहन विभाग से संबंधित हैं।

जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष बचे निर्णयों को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए, ताकि आम जनता को लाभ मिल सके।

नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि राज्य सरकार के सभी अधिकारी और कर्मचारी जनता के प्रति जवाबदेह हैं और उन्हें जनहित को प्राथमिकता देनी चाहिए।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. नजीम, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्याम भगत नेगी, प्रधान सचिव देवेश कुमार, सदस्य सचिव हरबंस सिंह ब्रसकोन, सचिव डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेस आशीष सिंहमार, निदेशक पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विवेक भाटिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा, सुधारों पर दिए निर्देश

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने छात्रों के सर्वांगीण विकास, छात्रावास सुदृढ़ीकरण, भर्ती प्रक्रिया और शैक्षणिक सुधारों पर विशेष जोर दिया।

मंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सह-पाठ्य गतिविधियों को समान महत्व दिया जाना चाहिए। छात्रावासों को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने माजरा स्थित छात्रावास की समस्याओं पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी और बेहतर आवास, भोजन, स्वास्थ्य सुविधाओं व सुचारू परिवहन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रशिक्षकों की उपलब्धता, कार्य परिस्थितियों और समय पर तैनाती सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

बैठक में एसएमसी/कंप्यूटर शिक्षक एलडीआर और पीजीटी/डीपीई एलडीआर की तैयारियों की समीक्षा की गई और 22 फरवरी को एलडीआर आयोजित करने के निर्देश दिए गए। सहायक प्राध्यापकों की भर्ती से जुड़े प्रस्तावों को शीघ्र हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजने का भी निर्देश दिया गया।

विलय और युक्तिकरण से जुड़े प्रस्तावों में विद्यार्थियों की सुरक्षा, शैक्षणिक निरंतरता और परिवहन सुविधाओं का ध्यान रखने पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त, आगामी सत्र से बागवानी और वानिकी को वैकल्पिक विषय के रूप में शुरू करने, टैबलेट वितरण को शीघ्र पूरा करने और चार वर्षीय बी.एड., बी.पी.एड. तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शुरू करने के निर्देश भी दिए गए।

एनटीटी शिक्षकों की भर्ती के संबंध में मंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को तुरंत नियुक्ति पत्र जारी करने और शेष रिक्त पदों को त्वरित माध्यम से भरने पर जोर दिया। बैठक में महाविद्यालय रैंकिंग, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आगामी बजट सत्र के लिए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने की भी रूपरेखा तैयार की गई।

बैठक में सचिव शिक्षा राकेश कंवर, परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा राजेश शर्मा, निदेशक उच्च शिक्षा अमरजीत, निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

भूमि और तकसीम मामलों में समय सीमा तय राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में उप-समिति बैठक

शिमला/शैल। राजस्व एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप-समिति की तीसरी बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी जिला उपायुक्त वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2016 से विभिन्न विभागों को कुल लगभग 34,000 बीघा भूमि हस्तांतरित की जा चुकी है, जिसमें कृषि, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बागवानी, उद्योग और पर्यटन जैसे विभाग शामिल हैं।

राजस्व मंत्री ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे 31 मार्च 2026 तक सभी विभागों की उपयोग में नहीं लाई गई और खाली पड़ी भूमि का ब्यौरा एकत्रित करें। इसके लिए गूगल स्प्रेडशीट साझा की जाएगी, जिसमें प्रत्येक जिले की भूमि स्थिति दर्ज की जाएगी।

बैठक में यह भी बताया गया कि किसी विभाग को हस्तांतरित भूमि का दो वर्ष तक उपयोग न करने की स्थिति में वह भूमि वापस राजस्व विभाग को लौटाई जाएगी।

इसके अलावा, राजस्व लोक अदालतों के मामलों और भू-सुधार अधिनियम 1954 के तहत तहसील और नायब तहसीलदारों को तकसीम मामलों को छह माह के भीतर निपटाने के निर्देश दिए गए। निशानदेही के मामलों के लिए दो माह और दुरुस्ती के मामलों के लिए तीन माह का समय निर्धारित किया गया।

बैठक में सचिव डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस आशीष सिंहमार, पशुपालन विभाग के सचिव रितेश चौहान, अतिरिक्त सचिव राजस्व बलवान चंद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

इस पहल से भूमि प्रबंधन में पारदर्शिता और तेजी आएगी तथा विभागों के उपयोग में न लाई गई भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

पीएमजीएसवाई–IV के तहत हिमाचल को 1877 करोड़ रुपये की बड़ी सौगात

शिमला – मंडी संसदीय क्षेत्रों में 234 सड़क परियोजनाएं, 358 गांवों को मिलेगा सीधा लाभ

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) के तहत केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को ग्रामीण बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बड़ी सौगात प्रदान की है। योजना के अंतर्गत शिमला और मंडी संसदीय क्षेत्रें के लिए कुल 1877.73 करोड़ रूपये की लागत से 234 सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से कुल 1297.51 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन किया जाएगा, जिससे प्रदेश के 358 ग्रामीण गांवों और बसावटों को सीधा लाभ मिलेगा। इस निर्णय को हिमाचल के दुर्गम, पहाड़ी और आपदा-प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक ऐतिहासिक पहल के रूप में देखा जा रहा है।

शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि PMGSY - IV के अंतर्गत शिमला लोकसभा क्षेत्र के लिए 637.20 करोड़ रूपये की लागत से 92 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं की कुल लंबाई 451.19 किलोमीटर है, जिनसे क्षेत्र के 149 गांवों को मजबूत सड़क कनेक्टिविटी प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि यह स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाने के साथ-साथ स्थानीय विकास को गति देने में अहम भूमिका निभाएगी।

सुरेश कश्यप ने कहा कि इन सड़कों के निर्माण से किसानों और बागवानों को अपने उत्पाद मंडियों तक पहुंचाने में सुविधा होगी, विद्यार्थियों को शिक्षा संस्थानों तक सुरक्षित और आसान पहुंच मिलेगी तथा आम जनता को स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य बुनियादी सुविधाओं तक बेहतर संपर्क प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को सदैव प्राथमिकता दी है और बिना किसी भेदभाव के विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा है। यह निर्णय प्रदेश के दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

वहीं मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) बैच-I (2025-26) के तहत मंडी लोकसभा क्षेत्र में 1240.53 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से 142 सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत 846.32 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे 209 ग्रामीण बसावटों को सीधा सड़क संपर्क मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह स्वीकृति मंडी क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक तोहफा है।

कंगना रनौत ने कहा कि मंडी लोकसभा क्षेत्र हाल के वर्षो में बाढ़, भूस्खलन और भारी वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से गंभीर रूप से प्रभावित रहा है, जिसके कारण कई संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए थे। ऐसे समय में केंद्र सरकार द्वारा इतनी बड़ी राशि की स्वीकृति आपदा-प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 20 जनवरी 2026 को उन्हें औपचारिक पत्र जारी कर जानकारी दी गई है। पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि इन सड़क परियोजनाओं से न केवल ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि प्रदेश के सामाजिक - आर्थिक विकास को भी नई दिशा प्राप्त होगी।

दोनों सांसदों ने कहा कि मजबूत और ऑल-वेदर सड़क नेटवर्क से ग्रामीण जीवन में व्यापक परिवर्तन आएगा। इससे कृषि और बागवानी को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि होगी, आपदा प्रबंधन और राहत-बचाव कार्यों में तेजी आएगी तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बेहतर सड़क संपर्क से दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर भी सुधरेगा।

सांसदों ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। साथ ही राज्य सरकार से आग्रह किया कि सभी सड़क परियोजनाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाये, ताकि जनता को इनका दीर्घकालीन और स्थायी लाभ मिल सके।

आरएलए घोटाला किसी एक कर्मचारी नहीं, सिस्टम की नाकामी:त्रिलोक जम्वाल

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक जमवाल ने बिलासपुर स्थित रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (RLA) कार्यालय में सामने आये वाहन पंजीकरण घोटाले को कांग्रेस सरकार की बड़ी प्रशासनिक विफलता करार दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली क्राइम ब्रांच द्वारा हिमाचल के एक कर्मचारी की गिरफ्तारी से यह साफ हो गया है कि कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार बेलगाम हो चुका है और प्रदेश की साख को राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचा है।

त्रिलोक जमवाल ने कहा कि यह मामला सामान्य लापरवाही नहीं, बल्कि सुनियोजित घोटाला है, जिसमें सेकंड व थर्ड हैंड वाहनों को फर्स्ट हैंड दिखाकर पंजीकरण किया गया, नियमों को ताक पर रखकर फैंसी नम्बर आवंटित हुए और अवैध वसूली की गई। दिल्ली में आपराधिक वारदातों में प्रयुक्त वाहन का बिलासपुर आरएलए से पंजीकृत पाया जाना पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

उन्होंने कहा कि गिरफ्तार कर्मचारी लम्बे समय तक आरएलए बिलासपुर में डीलिंग हैंड के रूप में तैनात रहा और इतने बड़े घोटाले का एक व्यक्ति तक सीमित होना संभव नहीं है। इसमें अधिकारियों, दलालों और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों की संलिप्तता की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

भाजपा वरिष्ठ प्रवक्ता ने मांग की कि इस मामले की उच्च स्तरीय, स्वतंत्र और समयबद्ध जांच कराई जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर सख्त कारवाई नहीं हुई तो भाजपा इस मुद्दे को सड़क से सदन तक पूरी ताकत से उठाएगी।

स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कोई बढ़ोतरी नहीं

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जाने से बिजली के बिलों या सब्सिडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह स्पष्ट किया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के प्रवक्ता द्वारा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 125 यूनिट तक मिलने वाली मुफ्त बिजली की सुविधा पूर्ववत जारी रहेगी और स्मार्ट मीटर लगने से बिलों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।

प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में अब तक लगभग 7.5 लाख स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर केवल बिजली की खपत मापने का उपकरण है, ठीक वैसे ही जैसे पुराने सामान्य मीटर, और इसका बिलिंग नीति या टैरिफ से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैल रही गलत जानकारी को गलत और भ्रमपूर्ण बताया।

स्मार्ट मीटर में वास्तविक खपत के आधार पर बिलिंग होगी। पुराने मीटरों में कभी-कभी औसत रीडिंग के आधार पर बिल जारी हो जाते थे, लेकिन स्मार्ट मीटर में यदि उपभोक्ता बिजली का उपयोग नहीं करता है, तो उसे औसत बिल नहीं मिलेगा। मीटर का डेटा सेंट्रल डेटा सेंटर तक पहुंचता है, जिससे बिलिंग सही और पारदर्शी होगी।

यदि किसी उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर की रीडिंग पर संदेह है, तो सरकार ने दूसरा स्मार्ट मीटर लगाने की अनुमति दी है। उपभोक्ता हर 15 मिनट में अपनी खपत देख सकता है और किसी गड़बड़ी की स्थिति में विद्युत उप-मंडल कार्यालय से संपर्क कर सकता है।

प्रवक्ता ने बताया कि स्मार्ट मीटर का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, सेवाओं में सुधार और उपभोक्ताओं के लिए सुविधा सुनिश्चित करना है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर भरोसा न करें और केवल सत्यापित स्रोतों की जानकारी पर ही विश्वास करें।